न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 251/2019 (192/18, 20/18)
दायर दिनांक :– 15.05.2018

अनवान

1. श्री सुरजमल पिता काना नायक नि. अमरवासी तह. जहाजपुर
2. श्री हरिशंकर पिता गोपाल नायक नि. अमरवासी तह. जहाजपुर
3. सुश्री आशा पिता गोपाल नायक नि. अमरवासी तह. जहाजपुर
4. सुश्री रेखा पिता गोपाल नायक नि. अमरवासी तह. जहाजपुर
5. सुश्री गुड्डी पिता गोपाल नायक नि. अमरवासी तह. जहाजपुर
6. सुश्री सुरेखा पिता गोपाल नायक नि. अमरवासी तह. जहाजपुर
7. श्रीमति सीता पत्नि गोपाल नायक नि. अमरवासी तह. जहाजपुर

प्रार्थीगण..........

बनाम

1. श्री हंसराज पिता रामनारायण नायक नि. अमरवासी तह. जहाजपुर
2. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण..............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री मनोज वर्मा, एडवोकेट प्रार्थीगण,

:: आदेश :: दिनांक 09.12.2019

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने पेश कर निवेदन किया की प्रार्थीगण की कब्जे काश्त में ग्राम अमरवासी प. ह. अमरवासी तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आराजी न. 1486/1 रकबा 03.02 बीघा, आ.न. 1486/2 रकबा 03.00 बीघा कृषि आराजी स्थित है। प्रार्थीगण के विभाजन से पुर्व मुल ख. न. 1486 रकबा 06.03 बीघा स्थित था। प्रार्थीगण के खेत में काश्त करने के लिये आने जाने हेतु हमारे पास कोई वैकल्पिक रेकार्डेड रास्ता नही है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि एवं मुख्य मार्ग पाल के मध्य अप्रार्थी के पिता की खातेदारी की भूमि ख. न. 1485 रकबा 5.06 बीघा भुमि के दक्षिण दिशा में से होकर हम प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भुमि पर काश्त हेतु कदीमी समय से आते जाते रहे हैं। जिस पर होकर निरन्तर निर्बाध रूप से प्रार्थीगण अपने खेत पर स्वंय मवेशी एवं ट्रेक्टर सहित आती जाती रहती हैं इस रास्ते अलावा प्रार्थीगण के इस खेत मे आने का कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने का उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही होने से कई बार अप्रार्थीगण

अपनी भुमि पर रास्ते को उपयोग में लेने के लिये रोक देते है। इस कारण प्रार्थीगण को अपने खेत पर आने जाने में परेशानी उठानी पडती है। इस कारण प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने के उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रार्थीगण इस रास्ते का उपयोग व उपभोग कई वर्षो से निरन्तर व निर्बाध रूप से कर रहे हैं। मौके पर रास्ता है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि आराजी में आने जाने कृषि उपकरण ले जाने के लिये उक्त रास्ते में से होकर जाने वाले रास्ते के अलावा दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं। जिसे अप्रार्थीगण जिसने रास्ता को रोक दिया हैं। अप्रार्थी सं. 1 के पिता की मृत्यु हो चुकी हैं। जिसका वारिस उत्तराधिकारी अप्रार्थी नं. 1 ही हैं इस कारण अप्रार्थी नं. 1 को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया हैं। अप्रार्थी ने अपने पिता का फौती नामान्तरकरण नही करवाया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर प्रार्थीगण की खातेदारी भुमि में आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने हेतु अप्रार्थीगण की आ.न. 1485 में से रास्ता देने व उक्त रास्ते की भुमि को राजस्व अभिलेख में रास्ते की किस्म में दर्ज कराये जाने की मांग की।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुये। जिसे शामिल फाईल किया गया। अप्रार्थीगण बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थीगण की आराजी न. 1486/1, 1486/2 में कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही के संबध में तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र कमांक/राजस्व/2019/1530 दिनांक 22.11.2019 से रिपोर्ट भिजवाई गई। जिसे शामिल फाईल किया गया।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। एंव वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। जिसमें कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। जिसे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है कि ग्राम अमरवासी प. ह. अमरवासी तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आराजी न. 1486/1 रकबा 03.02 बीघा, आ.न. 1486/2 रकबा 03.00 बीघा में आने जाने के लिये 13 फिट चौडा रास्ता आ. न. 1485 के मध्य रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। आ.न. 1485 में से रकबा 0.04 बीघा भुमि रास्ता हेतु प्रभावित होगी। तथा प्रार्थीगण को अप्रार्थी सं. 1 के खेत से लगती हुई आराजी से रास्ते में जितनी भूमि जावेगी। उतनी ही भूमि यानि 0.04 बीघा प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को दिये जाने का आदेश दिया जाता हैं। तथा रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक / रीडर / 19 / मु.न. 251 / 2019 दिनांक 09.12.2019

निमित,

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :— प्र. सं. 251 / 19 अनवान सुरजमला पिता काना नायक नि. अमरवासी वगैरा बनाम हंसराज पिता रामनारायण नायक नि. अमरवासी वगैरा में रास्ता तरमीम करने के संबध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम अमरवासी प. ह. अमरवासी तहसील जहाजपुर की आ.न. 1486 / 1, 1486 / 2 में आने जाने के लिये 13 फिट चौडा रास्ता आ. न. 1485 के मध्य रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। आ.न. 1485 में से रकबा 0.04 बीघा भुमि रास्ता हेतु प्रभावित होगी। तथा प्रार्थीगण को अप्रार्थी सं. 1 के खेत से लगती हुई आराजी से रास्ते में 0.04 बीघा भुमि जावेगी। उतनी ही भूमि यानि 0.03 बीघा प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को दिये जाने का आदेश दिया जाता हैं। एवं रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर(भीलवाडा)

C : Tahsildar/kalim/RASTA 251 LETTER ss

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2019.12.18 14:42:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: